

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, झंझारपुर।

पटना, दिनांक- 14/9/18

विषय:- नगर पंचायत, झंझारपुर क्षेत्रान्तर्गत निविदा के निष्पादन के संबंध में।  
प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधुबनी का पत्रांक-110 (डुडा) दिनांक-21.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधुबनी ने अपने पत्रांक-110 दिनांक-21.08.2018 द्वारा यह सूचित किया है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0-09/2017-18 के पूर्व में कोई भी एवं किसी भी राशि का नली-गली से संबंधित निविदा का निष्पादन अपने स्तर पर ही किया जाता रहा है। यहाँ तक कि कार्यों का भुगतान भी बिना कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधुबनी से जाँच कराये कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर के स्तर से ही हो जाता है।

अतः उपर्युक्त संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य एवं साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय। सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न की जाती है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/9/18

अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी।

161

पत्रांक.....110 (डुडा)

दिनांक.....21/08/18

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी।

सेवा में

अधिक्षण अभियंता  
बुडा पटना

विषय:-मेरे कार्यालय में नगर पंचायत झंझारपुर का कोई भी प्राक्कलन अथवा C/S लंबित नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 829 दिनांक 4.7.18 एवं मेरा पत्रांक 82 दिनांक 04.06.2018 एवं मेरा पत्रांक 73 दिनांक 12.5.18 एवं 77 दिनांक 18.5.18 एवं 76 दिनांक 18.5.18 एवं 77 दिनांक 18.5.18 महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि किसी भी नगर पंचायत का कोई भी कार्य मेरे यहाँ लंबित नहीं है। झंझारपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी इस NIT सं0 09 के पूर्व में कोई भी एवं किसी भी राशी का नली गली से संबंधित C/S खुद ही कर लिया करते हैं यहाँ तक कि कार्यों का भुगतान भी आपके ही स्तर से बिना मुझे जाँच कराये कर लिया करते हैं।

उपरोक्त परिस्थिती में कृपया उन्हें अवगत कराने की कृपा करे कि गली नली योजना में उनको कितनी राशी का C/S उन्हें करना है अथवा DM साहेब द्वारा प्रतिनियुक्त माईनर एरिगेसन के सहायक अभियंता के माध्यम से कराना है। कितनी राशी का भुगतान सहायक अभियंता का हस्ताक्षर करा कर, जाँच के बिना कर सकते हैं ताकि भविष्य में एक भी स्टाफ न रहने के कारण मेरे कार्यालय पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
21/8/18

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी।

8036

23-8-18

306/17